

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्रमांक :- 213/2015)

(संस्थित दिनांक :- 27/04/15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. अरविन्द यादव पुत्र लच्छीराम यादव, उम्र 32 वर्ष।

निवासी :- ग्राम किटैना, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 22/03/2018 को घोषित)

01. आरोपी अरविन्द पर धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक : 14/01/2015 को दोपहर लगभग 04:30 बजे महेन्द्र सिंह यादव के कुँआ के पास किटैना का हार में, अपने आधिपत्य में एक 315 बोर की अधिया एवं 01 जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 14/01/2015 को थाना मौ के सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह भदौरिया रोजनामचा सान्हा क्रमांक 468, दिनांक : 14/01/2015 में प्रविष्टि कर मय फोर्स एवं शासकीय वाहन चालक केशव सिंह के साथ वारंटी रामजीलाल जाटव, निवासी :- नूरमपुरा की तलाश करने के पश्चात्, वापस आते समय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि महेन्द्र यादव निवासी : किटैना के कुँआ के पास हार में एक व्यक्ति अवैध अधिया लिये वारदात की नियत से घूम रहा है, मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मयफोर्स मुखबिर की बताये स्थान महेन्द्र के कुँआ के पास पहुँचा, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर बाजरे के कूप में छुप गया था, जिससे फोर्स की मदद् से पकड़ा। आरोपी उसके हाथ में 315 बोर की अधिया लिये था, आरोपी की अधिया को खोलकर देखा, तो उसके चैम्बर में एक जिंदा कारतूस लगा मिला। आरोपी से अधिया एवं कारतूस के संबंध में लाईसेंस चाहा तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का उक्त कृत्य 25/27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी से उक्त अधिया एवं कारतूस साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी अरविन्द को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को मय माल मुल्जिम थाना वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण चरन सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा अधिया एवं कारतूस का परीक्षण आयुध परीक्षक द्वारा कराया गया। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त अरविन्द के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी अरविन्द ने दिनांक :- 14/01/2015 को दोपहर लगभग 04:30 बजे महेन्द्र सिंह यादव के कुँआ के पास किटैना का हार में, अपने आधिपत्य में एक 315 बोर की अधिया एवं 01 जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी प्रमोद भदौरिया अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 14/01/2015 को थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 468, दिनांक : 14/01/2015 में रवानगी अंकित कर मय हमराही फोर्स शासकीय वाहन से वारंटी रामजीलाल जाटव को तलाश करने गया था। साक्षी आगे कहता है कि वहाँ से वापस आते समय जरिए मुखबिर सूचना मिली कि महेन्द्र यादव, निवासी : किटैना के कुँआ के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार लिये हुये अपराध करने की नियत से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मयफोर्स मुखबिर की बताये स्थान पर पहुँचा, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर बाजरे के कूप में छुप गया था, जिससे फोर्स की मदद से पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी उसके हाथ में 315 बोर की अधिया लिये था, आरोपी की अधिया को खोलकर देखा, तो उसके चैम्बर में एक जिंदा कारतूस लगा मिला। आरोपी से अधिया एवं कारतूस के संबंध में लाईसेंस चाहा तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम अरविन्द यादव, निवासी : ग्राम किटैना का होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा

25/27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण के समक्ष मौके पर ही अधिया एवं जिंदा कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत अधिया एवं कारतूस वही अधिया एवं कारतूस है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे। अधिया आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस आर्टिकल ए-02 है।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता प्रमोद भदौरिया अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि उसने जब्तशुदा अधिया का अक्श कागज पर रखकर बनाया था। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियोग-पत्र के साथ उक्त अक्श प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न अक्श पर रखकर देखने पर न्यायालय में आर्टिकल ए-01 की अधिया की नाल अक्श पर बनी अधिया की नाल से लगभग एक इंच बाहर की ओर निकल रही है। साक्षी आगे कहता है कि आर्टिकल ए-01 की अधिया वह अधिया नहीं है, जो उसके द्वारा आरोपी से जब्त की गई थी। न्यायालय में प्रस्तुत अधिया आर्टिकल ए-01 की नाल अक्श पर बनी अधिया की नाल से एक इंच बाहर निकलने से यह स्पष्ट है कि आर्टिकल ए-01 की अधिया प्रकरण में कथित रूप से जब्तशुदा अधिया नहीं है। ऐसी दशा में यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि कौन सा आयुध परीक्षक को प्रेषित कर परीक्षित कराया गया था और किस आयुध को अभियोजन स्वीकृति हेतु जिलादण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन साक्ष्य से कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा आयुध कहाँ गया और न्यायालय में प्रस्तुत अधिया आर्टिकल ए-01 किसके द्वारा और कब मूल आयुध के स्थान पर बदलकर प्रस्तुत की गई। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में जब्तीकर्ता प्रमोद भदौरिया अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से अभियोजन कथा की पुष्टि नहीं होती है।

09. अभियोजन साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 22/01/2015 को पुलिस लाईन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के अपराध क्रमांक 07/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में एक जब्तशुदा एक 315 बोर की अधिया एवं एक 315 बोर के जिंदा कारतूस की जांच उसके द्वारा की गई। साक्षी आगे कहता है कि जांच के दौरान अधिया का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया, अधिया चालू हालत में थी, जिससे फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर का जिंदा कारतूस चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था, जिसकी पैदी 08 एम.एम.के.एफ.लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 472

पुरुषोत्तम द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर पंचनामा एवं एफआईआर, जब्ती की नकल साथ में प्राप्त की गई थी। अधिया एवं जिंदा राउण्ड एक साथ एक सफेद कपड़ा में सील बंद जाँच हेतु प्राप्त हुये, बाद जाँच कर अपनी नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सील बंद कर पुनः थाना वापस किया गया। इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जाँच रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण उपरांत भी साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रहा है। साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा आयुध जांच रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से सारतः यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा जांचशुदा 315 बोर की अधिया जांच के दौरान चालू हालत में थी, जिससे फायर किया जा सकता था एवं जांचशुदा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था। परन्तु इस वावत् अभियोजन साक्ष्य मूल रूप से संदेहास्पद है कि परीक्षण के लिए प्रेषित अधिया एवं कारतूस वही अधिया एवं कारतूस थे, अथवा नहीं, जो कथित रूप से आरोपी से जब्त किये गये थे। ऐसी दशा में आयुध परीक्षक के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 27/02/15 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आम्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 07/2015, दिनांक : 21/01/2015 द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 07/2015 से संबंधित केश डायरी एवं मोहरबंद आयुध प्रधान आरक्षक क्रमांक रणवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय द्वारा अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र लच्छीराम यादव, उम्र 29 वर्ष, के कब्जे से एक अधिया 315 बोर एवं एक जिंदा राउण्ड 315 बोर के अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भागों पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय के हस्ताक्षर हैं, बी से बी भागों पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मधुकर आग्नेय के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। परन्तु इस वावत् अभियोजन साक्ष्य मूल रूप से संदेहास्पद है कि अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रेषित अधिया एवं कारतूस वही अधिया एवं कारतूस थे, अथवा नहीं, जो कथित रूप से आरोपी से जब्त किये गये थे। ऐसी दशा में अभियोजन स्वीकृति के साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. अभियोजन साक्षी शेषदेव राम अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 14/01/2015 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद

पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 07/2015 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसके द्वारा साक्षी चरन सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा जब्तशुदा आयुध की जांच कराकर, अभियोजन स्वीकृति जिलादण्डाधिकारी महोदय से प्राप्त कर विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। विवेचक शेषदेव अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अपराध क्रमांक 07/2015 की उसके द्वारा विवेचना किये जाने के तथ्य के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरान्त भी अखण्डित रहा है।

12. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र यादव अ.सा.01 एवं साक्षी चरन सिंह अ.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर उनके ए से ए एवं बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी अरविन्द से कोई अधिया एवं कारतूस जब्त होने का तथ्य और आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

13. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अरविन्द ने दिनांक :- 14/01/2015 को दोपहर लगभग 04:30 बजे महेन्द्र सिंह यादव के कुँआ के पास किटैना का हार में, अपने आधिपत्य में एक 315 बोर की अधिया एवं 01 जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

अंतिम निष्कर्ष

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी अरविन्द के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

16. प्रकरण में जब्तशुदा एक 315 बोर की अधिया एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद